HARYANA GOVERNMENT TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT Notification

The 27th June, 2013

No. CCP (NCR)/JH/ACA/2013/1595.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government Town and Country Planning Department, notification number CCP(NCR)JH/ACA/2010/1141 dated the 31st March 2010, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification number CCP(NCR)/JH/ACA/2010/1141 dated the 31st March 2010, in the schedule, for the existing last para, the following para shall be substituted, namely:--

West: Thence moving from point 'D' towards north and north-east along the western revenue boundary of village Dhaur (Hadbast Number 110),upto north-west corner of rectangle no. 125 of village Dujana (Hadbast Number 3-N), thence towards east along northern boundary of rectangle no. 125, 126, 127 and 128 upto north-west corner of rectangle no. 129 of village Dujana (Hadbast Number 3-N), thence towards north along western boundary of rectangle nos. 119, 100, 91, 72, 66, 47, 44 and 26 of village Dujana (Hadbast Number 3-N), where it meets the western revenue boundary of village Dujana (Hadbast Number 3-N), thence along the north-west revenue boundary of village Dujana (Hadbast Number 3-N),village Iftikar Nagar (Hadbast Number 1-N),village Mehrana(Hadbast Number 2-M), village Agarpur (Hadbast Number 14),village Chhara (Hadbast Number 17) and village Bhapdoda (Hadbast Number 22), upto point 'A' i.e. the point of start.

T.C. Gupta,
Principal Secretary to Government, Haryana
Town and Country Planning Department.

हरियाणा सरकार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

दिनांक 27 जून, 2013

संख्या सीसीपी (एनसीआर)/जेएच/एसीए/2013/1595— पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सीसीपी(एनसीआर)/(जेएच)/एसीए/2010/1141, दिनांक 31 मार्च 2010, में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सीसीपी(एनसीआर) / (जेएच) / एसीए / 2010 / 1141, दिनांक 31 मार्च, 2010, में, अनुसूची में, विधमान अन्तिम पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थपित किया जाएगा, अर्थातः—

दक्षिण: तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर— पूर्व की ओर गांव घौर (हदबस्त संख्या 110) की पिश्चमी राजस्व सीमा के साथ—साथ गांव दुजाना (हदबस्त संख्या 3—एन) की आयत संख्या 125 के उत्तर—पिश्चिम कोनों तक, तत्पश्चात् पूर्व की ओर गांव दुजाना (हदबस्त संख्या 3—एन) की आयत संख्या 125, 126, 127 तथा 128 की उत्तरी सीमा के साथ—साथ गांव दुजाना (हदबस्त संख्या 3—एन) की आयत संख्या 129 के उत्तर—पिश्चिम कोनों तक, तत्पश्चात् उत्तर की ओर गांव दुजाना (हदबस्त संख्या 3—एन) की आयत संख्या 119, 100, 91, 72, 66, 47, 44 तथा 26 की पिश्चिमी सीमा के साथ—साथ जंहा यह गांव दुजाना (हदबस्त संख्या 3—एन) की पिश्चिमी राजस्व सीमा से मिलती है, तत्पश्चात् गांव दुजाना (हदबस्त संख्या 3—एन), गांव इफितकार नगर (हदबस्त संख्या 1—एन), गांव महराना (हदबस्त संख्या 2—एम), गांव अगारपुर (हदबस्त संख्या 14), गांव छारा (हदबस्त संख्या 17) तथा गांव भापडोदा (हदबस्त संख्या 22),की उत्तर—पिश्चम राजस्व सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारिभाक बिन्दु है"।

टी_. सी. गुप्ता, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।